



अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर जिला भीलवाड़ा

अनवान

देवजी लाल देव खेमानंद
जाति कुशी भोजपुर
मुकदमा धारा 212 RTI

बनाम गान्धारी डि गान्धारी गान्धारी
मु0न0 35 सन 2022

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुई
2/3/22	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी/वादीगण का वाद पत्र प्रार्थी/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTI के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादीगण/विपक्षीगण को सम्मन मय नकल जारी हो। पत्रावली बाद तामिल तकमील वास्ते जवाब प्रतिवादीगण/विपक्षीगण दिनांक 10/3/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(सुन्दरलाल बम्बोडा) सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर जिला भीलवाड़ा</p>	
10/3/22	<p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित/वास्ते आगामी कार्रवाही राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प में दिनांक 12/3/22 को पेश हो।</p>	 डि गान्धारी के लाल
12/3/22	<p>पत्रावली पेश हुई। मूल वाद में उभय पक्ष कारण के मध्य आपकी समझौता हो चुका है। जितने इस प्रकार मझौते कोई कार्रवाही नहीं चाहते है। विलगत निर्णय समझौते अनुसार मूल वाद में खति है। अतः पत्रावली मूल वाद के साथ सलमन ठककर देने पक्ष में की यथा स्थिति इस समझौते अनुसार बनाये रखे।</p>	

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहकाम
हुकम की
जारी हुए

पत्रावली काज सुप्रीम लोकर मरणा
केम्य राधपुर मे फेसल शुमार होकर
जंवर से कम हो।

अध्यक्ष
तालुका विधि सेवा समिति
स्ट्रिक्ट सिविल न्यायाधीश
एव अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रायपुर-जिला भीलवाड़ा

सदस्य
स्थायी लोक अदालत
तालुका विधिक सेवा समिति
रायपुर (भीलवाड़ा)

स्थायी लोक अदालत
तालुका विधिक सेवा समिति
रायपुर (भीलवाड़ा)

सदस्य
स्थायी लोक अदालत
तालुका विधिक सेवा समिति
रायपुर (भीलवाड़ा)